

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं.13050/58

दिनांक :- 10.1.2023

कार्यालय आदेश

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (लिंक न. 12308), कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

असाधारण अवकाश :-

दिनांक 09.10.2017 से 06.07.2018 तक 271 दिवस

दिनांक 16.07.2018 से 02.08.2018 तक 18 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 22.10.2018 से 02.11.2018 तक 12 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 12.11.2018 से 16.11.2018 तक 05 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

(कुल 306 दिवस)

उक्त कुल 306 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

उक्त असाधारण अवकाश स्वीकृति आदेश वित्त(राजस्व) विभाग की डायरी क्रमांक 5979 दिनांक 09.11.2022 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।

उक्त निदेशक महोदय से अनुमोदित है।

(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं.13050/58

दिनांक :- 10.1.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर।
2. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा (लिंक न. 12308), कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशालय निरीक्षण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।

(लेखराम मीणा)

उप निदेशक (कार्मिक-II/III)